

ग्रामीण महिला विकास संस्थान



GMVS

वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17



विकास की ओर बढ़ते कदम...





વસુન્ધરા રાજે

મુખ્યમંત્રી

રાજ્યસ્થાન સરકાર

- : સંદેશ :-

મુજ્જે પ્રસ્તન્તા કા વિષય હૈ કિ ગ્રામીણ મહિલા વિકાસ સંસ્થાન—બૂબાની, અજમેર દ્વારા હર વર્ષ કી ભાઁતિ ઇસ વર્ષ ભી વાર્ષિક કાર્ય પ્રગતિ પ્રતિવેદન 2016–17 કા પ્રકાશન કિયા જા રહા હૈ।

મહિલાઓં કા વિકાસ હમારી મુખ્ય પ્રાથમિકતા હૈ। બાલિકા કે જન્મ સે લેકર આત્મનિર્ભર બનાને તક સરકાર ઉનકે સાથ કંધે સે કંધા મિલાકર ખડી હૈ। મહિલાઓં કો આત્મનિર્ભર ઔર સ્વાવલમ્બી બનાને કે લિએ હમને ભામાશાહ યોજના મેં ઉસે પરિવાર કા મુખિયા બનાયા હૈ ઔર મહિલા સ્વયં સહાયતા સમૂહ તથા કૌશલ વિકાસ કે માધ્યમ સે ઉન્હેં આર્થિક રૂપ સે આત્મ–નિર્ભર બનાને કા પ્રયાસ કિયા હૈ। ઇસકે અલાવા ભી વિધવા, તલાકશુદા મહિલાઓં કી સહાયતા કે લિએ ભી અનેક યોજનાએં ચલાઈ જા રહી હૈ।

યહ સરાહનીય હૈ કિ સંસ્થાન મહિલા સ્વયં સહાયતા સમૂહ, ઉનકી શિક્ષા ઔર સ્વાસ્થ્ય કે સાથ–સાથ મહિલા સશક્તિકરણ, પર્યાવરણ સંરક્ષણ, જલ ચેતના, જલ સંરક્ષણ, કિસાન સંવર્ધન, બાળશ્રમ ઉન્મૂલન આદિ ક્ષેત્રોં મેં કાર્ય કર રહા હૈ।

આશા હૈ, વાર્ષિક પ્રગતિ પ્રતિવેદન મેં મહિલાઓં કે હિત મેં વિશેષ સામગ્રી કા પ્રકાશન કિયા જાયેગા। મુજ્જે વિશ્વાસ હૈ કિ પ્રતિવેદન અપને ઉદ્દેશ્ય મેં સફળ હોગા। મૈં પ્રકાશન કી સાર્થકતા કે લિએ અપની શુભકામનાએં પ્રેરિત કરતી હું।

વસુન્ધરા રાજે

(વસુન્ધરા રાજે)



GMVS



सुरेश सिंह रावत

संसदीय सचिव,
राजस्थान सरकार



6106, मंत्रालय भवन
शासन सचिवालय, जयपुर—302005,
फोन (कार्यालय) 0141—2385701
ई.पी.ए.बी. एक्स: 5153225—21255
मोबाइल नम्बर : 9414006464
E-mail : sureshrawat29@gmail.com

— : संदेश :—

मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी “ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर” द्वारा अपना “वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2016—2017” प्रकाशित किया जा रहा है।

संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के तहत अजमेर, नागौर व चित्तौड़गढ़ जिलों में किये जा रहे कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सच्ची समाज सेवा व तन—मन—धन एवं पूर्ण समर्पण की भावना से निःस्वार्थ रूप से विभिन्न कार्य करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये राष्ट्रीय लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जलचेतना एवं जल संरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान संवर्द्धन, महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, बालश्रम उन्मूलन, एच.आई.वी./एड्स व टी.बी. आदि क्षेत्रों में कार्य करते हुए अपनी मजबूत एवं सकारात्मक उपस्थिति दर्ज करवाने में सफलता पूर्वक एक और सोपान चढ़ने पर, संस्थान से जुड़े प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को मेरी तरफ से अनेक—अनेक साधुवाद एवं क्षेत्र का विकास करने पर धन्यवाद।

आने वाले समय में संस्थान अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए नये आयाम स्थापति करें तथा इसी तरह मानव मात्र की सेवा करते हुए प्रगति पथ पर निरन्तर अग्रसर रहे। उक्त गतिविधियों के सफल संचालन के कारण संस्थान सचिव श्री शंकरसिंह रावत को विभिन्न जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय पारितोषिक, पदक एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। उसके लिए “मैं संस्थान परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ एवं प्रगतिशील संस्थान और पूरे संस्थान परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।”

(सुरेश सिंह रावत)



निदेशक की कलम से


ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर एक गैर सरकारी संगठन है जो पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ जिलों में समाज सेवा का कार्य कर रही है। इसी संस्थान से जुड़ने के लिये मैं हर्षोल्लास महसूस कर रहा हूँ। जिससे मुझे समाज तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी एवं दायित्व पूरा करने का अवसर मिला। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को समझकर उन पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

संस्थान द्वारा अपने महिला सशक्तिकरण जैसे दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक योजनाएँ बनायी जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जल, जंगल, जमीन, महिला स्वयं सहायता समूह, एच.आई.वी./एड्स व टी.बी., किसान संवर्द्धन, महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, बालश्रम उन्मूलन एवं महिला अधिकार के साथ–साथ विभिन्न सामाजिक समस्याएँ जैसे – अंधविश्वास व बाल विवाह आदि को लेकर अल्पकालीन योजनाओं का सफल संचालन किया गया है। जिससे संस्थान को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति एवं पहचान मिली है।

संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों तथा सेवाओं का विस्तृत विवरण 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे पढ़कर हमारा मार्गदर्शन करेंगे।

संस्थान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर है। जिसमें विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की विशिष्ट भूमिका है, जिसके लिये पूरा संस्थान तहे दिल से आभार व्यक्त करता है तथा उम्मीद करता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर रहने के लिये आपका सहयोग व मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। संस्थान को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिये मेहनत, लगन तथा निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का भी सहयोग है। जिसके लिये मैं सभी का सहर्ष धन्यवाद करता हूँ।

मैं संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं के साथ–साथ संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।



शंकर सिंह रावत
निदेशक



अध्यक्षीय सम्बोधन

शासन में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित हो, पारदर्शिता हो और शासक शासितों के प्रति उत्तरादायी बने तथा सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तो सच्चे अर्थ में प्रजातंत्र का सृजन होगा। विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शासन पर निगरानी रखना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गरीबी में कमी, बेकारी का निवारण, साक्षरता में वृद्धि, बाल मृत्यु दर में कमी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी आवश्यक है इसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है। अतः विकास के लक्ष्यों को पूरा करना गैर सरकारी संगठनों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण यह देखना है कि शासन की व्यवस्था अधिक लोकानिमुख बनें।

संस्थान द्वारा महिलाओं के संगठित समूह बनाये गये, समूहों से क्लस्टर व क्लस्टर से एक पंजीकृत संरचना (फेडरेशन) बनाया गया। जिसके माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सुविधायें प्रदान कर सशक्त बनने का मंच प्रदान किया गया। किसानों को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन बनाये गये जिसके माध्यम से कम लागत पर अधिक उत्पादन हेतु नवीनीकरण कृषि उत्पादन प्रणाली तथा विपणन से रूबरू करवाया गया।

संस्थान अपनी गतिविधियों का लाभ जयादा से ज्यादा गांव वासियों तक पहुँचाने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार भी कर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिले की 5—5 पंचायत समितियों तथा नागौर जिले की 03 पंचायत समितियों में कार्य कर रहा है।

संस्थान की गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहयोगी संस्थाओं को कोटि—कोटि धन्यवाद तथा संस्थान के कर्मठ कार्यकर्ताओं के सकारात्मक प्रयासों हेतु उनका आभार व्यक्त करता हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि सभी का सहयोग हमें हमेशा इसी तरह प्राप्त होता रहेगा।

अनिल कुमार माथुर


अध्यक्ष

ग्रामीण महिला विकास संस्थान (GMVS) कार्यक्षेत्र मानचित्र

INDIA भारत



राज्य—राजस्थान



जिला—नागौर



जिला—अजमेर



जिला—चित्तौड़गढ़



- △ जिला मुख्यालय— अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़
- मुख्य संस्थान कार्यालय— किशनगढ़
- ◊ संस्थान पंजीयन कार्यालय—बूबानी, अजमेर
- संस्थान श्रेत्रीय कार्यालय— चित्तौड़गढ़
- ◎ संस्थान श्रेत्रीय कार्यालय – थांवला, नागौर



GMVS

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर (राजस्थान)

Gramin Mahila Vikas Sanstha-Bubani, Ajmer (Rajasthan)

वार्षिक प्रतिवेदन : वर्ष 2016–2017

पृष्ठभूमि

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी (अजमेर) राजस्थान संस्था पंजीकरण सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12—ए व 80 जी के तहत FCRA एक्ट 1976 के अधीन पंजीकृत है।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर मानव समाज विषयक उद्देश्य जिसमें ग्रामीण महिला विकास एवं उत्थान विशेष के लिये गठित स्वैच्छिक संगठन है, जो वृहद स्तर पर ग्रामीण समुदाय के साथ उनके सामाजिक सशक्तिकरण एवं आजीविका सवंदर्भन के लिये कार्य कर रही है। संस्था विविध और व्यापक स्तर पर समस्या प्रदान मुद्दों जैसे—स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देशभाल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दे, स्वरोजगार आदि पर 1998 से विविध कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में संस्था राजस्थान के 03 जिलों अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर में विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रही है। जिसमें अजमेर जिले की 05 पंचायत समितियाँ—श्रीनगर, सिलोरा, भिनाय, पिंसागन और केकड़ी एवं चित्तौड़गढ़ जिले की 05 पंचायत समितियाँ—चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, कपासन, चंदेरिया, सावा एवं नागौर जिले की 03 पंचायत समितियाँ—रियांबड़ी, मेड़ता एवं परबतसर में कार्य कर रही है।

विज्ञ

ऐसे सशक्त समाज की स्थापना करना जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक एवं रोजगार दृष्टि से आत्मनिर्भर हो।

मिशन

मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग से पिछड़ें, अभावग्रस्त, गरीब समाज की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, कलस्टर व फैडरेशन के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से सशक्त करना, ग्रामीण लोगों, वंचित वर्ग खास कर महिलाओं / बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेयजल व आजीविका के साधन सुनिश्चित करवाना।

संस्था के उद्देश्य

- ❖ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तथा बच्चों तक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवायें सुनिश्चित कराना।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं विशेष तौर से महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना।
- ❖ महिला विकास व सशक्तिकरण के क्रम में ग्रामीण महिलाओं की रुचि पैदा करना तथा महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- ❖ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों पर जागरूकता बैठकों तथा रैली का आयोजन कराना।
- ❖ महिलाओं को स्वयं सहायता समुह बनाकर संगठित कर बैंक लिंकेंज करना तथा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- ❖ फैडरेशन के रूप में महिलाओं को एक मंच प्रदान कर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना।
- ❖ किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देना एवं आधुनिक तकनीकी कृषि के लिए प्रेरित करना।
- ❖ किसानों को संगठित कर FPO बनाना तथा उनका सफलतापूर्वक संचालन करना।
- ❖ ग्रामीण लोगों का बीमा से जुड़ाव करके जोखिम की क्षतिपूर्ति करना।
- ❖ ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से साक्षर करना।
- ❖ बालश्रम उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक करना।
- ❖ ग्रामीणों को पशुपालन जैसे—उन्नत नस्ल की बकरी, टीकाकरण एवं अन्य पालतु पशु पालन करने के लिए प्रेरित करना।
- ❖ पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़—पौधों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना।
- ❖ महिला व बाल विकास कार्यक्रम का संचालन व लोगों में जागरूकता हेतु बैठकों का आयोजन करना।
- ❖ बेहतर शिक्षा हेतु विद्यालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।
- ❖ ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में सहयोग करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये नियमानुसार ऋण उपलब्ध करवाना।



GMVS

हंस मोबाईल मेडिकल सर्विसेज, अजमेर (Hans Mobile Medical Services, Ajmer)

एक पुरानी कहावत है — पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा तो हम ज्यादा कुशल तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हर कार्य में रुचि होगी। द हंस फाउण्डेशन — नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान — बुबानी, अजमेर द्वारा हंस मोबाईल मेडिकल सर्विसेज कार्यक्रम का संचालन मई, 2014 से इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 12 गांवों में किया जा रहा है। ये गांव हैं—भवानीखेड़ा, निम्बुकिया, टिढाणा, जाटली, आखरी, सराणा, शाला की ढाणी, टण्टीया, नारगाल, लीरी का बाड़ीया, नौलखा व दांता। कार्यक्रम के 12 गांवों में अन्य किसी प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध नहीं है तथा यातायात की उचित व्यवस्था भी नहीं हैं।

कार्यक्रम के तहत सभी उपकरणों युक्त एक एम्बुलेंस है जिसके द्वारा टीम सभी गांवों में भ्रमण करती है। टीम द्वारा माह में 2 बार 1 गांव में भ्रमण किया जाता है तथा गांव की महिलाओं तथा बच्चों को सुविधाएँ प्रदान की जाती है। कार्यक्रम की टीम में परियोजना निर्देशक शंकरसिंह रावत, परियोजना अधिकारी किरनजीत कौर, डॉक्टर अब्दुल मलिक, फार्मासिस्ट राकेश दाधीच, नर्स कंचन पारीक, मेल नर्स अमर भार्गव तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता गजानन्द बोकोलिया, कृष्णा कंवर, मंजू शोभानी, राजूलाल परसोया, सविता शोभानी, तेजाराम मेघवंशी, दशरथ प्रजापत, घनश्याम सादावत, देवेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह, ज्ञानसिंह, रिंकू रावत, झाईवर रघुवीरसिंह तथा सहायिका सीमादेवी हैं। कार्यक्रम के द्वारा चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त गर्भवती व धात्री महिलाओं की होम विजिट, मरीजों का फोलोअप, टीकाकरण में सहयोग, काउसेलिंग, नियमित रूप से गांवों में भ्रमण के साथ—साथ जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है महिलाओं, बालिकाओं के साथ जागरूकता रैली तथा बैठक का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन तथा उद्देश्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति हेतु प्रत्येक गांव में गांव स्तर पर एक ग्राम स्वास्थ्य कमेटी का गठन किया गया है। सभी के साथ माह में एक बार जागरूकता बैठक का आयोजन किया जाता है।

परियोजना का शुभारम्भ कार्यक्रम :—

परियोजना का शुभारम्भ मई 2014 को गांव दांता में कार्यक्रम को संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत के द्वारा हरि झण्डी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम में डॉ. गिरीशनारायण माथुर, एस. पी. माथुर, डॉ. शंकरलाल आसनानी, स्वामी शरण, नन्दकिशोर अरड़का, अब्दुल जलील, अनिल कुमार माथुर भी शामिल हुए। सत्र 2015–2016 से परियोजना का मुख्यालय दांता गांव से बुबानी गांव में स्थापित किया गया है। अब परियोजना का मुख्य कार्यालय बुबानी गांव में है। जहाँ पर सायं 4 से 5 बजे तक के मरीजों का उपचार किया जाता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :-

- ❖ महिलाओं को यह अहसास दिलाना कि उनका स्वास्थ्य अच्छा होने में ही उनके परिवार की बेहतरी है।
- ❖ प्रत्येक महिला विशेषतः गर्भवती व धात्री महिला तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बनाना।
- ❖ प्रसव पूर्व, सुरक्षित प्रसव तथा प्रसव पश्चात देखभाल को प्रोत्साहित करना।
- ❖ संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करना।
- ❖ मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्युदर को कम करना।
- ❖ समुदाय को बालिका बचाने हेतु जागरूक करना।
- ❖ पर्यावरण को स्वास्थ्य के सहयोग हेतु बनाना।
- ❖ सामान्य बिमारियों की स्वास्थ्य जाँच के साथ-साथ जागरूक करना।
- ❖ स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुँचाना।
- ❖ महिलाओं को गर्भ के दौरान तथा बच्चों के टीकाकरण हेतु प्रेरित करना।
- ❖ स्वास्थ्य सेवाओं को उन लोगों तक पहुँचाना जो एक नियमित सुविधाओं से वंचित है।
- ❖ नियमित स्वास्थ्य जाँच के अतिरिक्त लाभार्थियों को स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण, पोषाहार, आँखों की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्यों का सेवन कम करने हेतु परामर्श आदि काउसिंलिंग करना।
- ❖ समुदाय को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करने हेतु उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को प्रेरित करने का कदम उठाना।
- ❖ बालक जीवितता एवं सुरक्षित मातृत्व से जुड़े मुद्दे, पोषाहार एवं स्वास्थ्य के बारे में महिला एवं समुदाय की जागरूकता को बढ़ाना।
- ❖ वर्षभर के विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों को महिला, बालिका एवं ग्राम स्वास्थ्य कमेटी के साथ मनाना। ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल सकें।
- ❖ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देना व जोड़ना।

रणनीति :-

- ❖ कार्यक्रम की शुरूआत में गांवों के प्रत्येक घर का सर्वे करना तथा कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करना।
- ❖ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा घर-घर जाकर हंस की गाड़ी की गांव में भ्रमण की दिनांक व स्थान सुनिश्चित करना।
- ❖ एम्बूलेंस का टीम सहित गांव में समय पहुँचकर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना।
- ❖ धात्री महिलाओं को उनके घर जाकर फॉलोअप करना तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना तथा जच्चा-बच्चा की देखभाल करना।
- ❖ स्वास्थ्य शिविर पर आये मरीजों का उचित उपचार तथा आवश्यक सलाह देना।



GMVS

- ❖ महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक स्थान पर एकत्रित कर जागरूकता बैठकों का आयोजन करना।
- ❖ गांव के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं का समूह बनाकर प्रत्येक माह जागरूकता रैली तथा बैठक आयोजित करना।
- ❖ गांव स्तर पर निर्मित ग्राम स्वास्थ्य कमेटी के सदस्यों के साथ जागरूकता बैठकों का आयोजन करना।
- ❖ मातृ जागरूकता बैठकों में विभिन्न मुद्दें जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दें, स्वच्छ आदतें, टीकाकरण, विटामिन ए, पोषाहार, स्वच्छता, शारीरिक देखभाल, आँखों की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, सबस्टेज, एब्यूज, संस्थागत प्रसव, प्रसव पूर्व देखभाल, सुरक्षित प्रसव, प्रसव बाद देखभाल, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा सामाजिक कुरीतियों जैसे :— दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराब, नशाखोरी, अंधविश्वास, भेदभाव आदि पर जागरूकता व काउसिलिंग सेवायें प्रदान करना।
- ❖ प्रत्येक माह में एक अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवस का आयोजन करना।
- ❖ गंभीर गर्भवती महिलाओं का चिन्हित करना एवं बच्चों तथा महिलाओं को नजदीकी अस्पताल पी.एच.सी. या सी.एच.सी. या सब—सेन्टर पर रेफर करना।
- ❖ स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गांव में होम विजिट कर मरीजों का फॉलोअप करना तथा कार्यक्रम के डॉक्टर के साथ सम्पर्क कर उचित सलाह देना।
- ❖ परियोजना अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ गांव में भ्रमण करना तथा गर्भवती, धात्री महिलाओं तथा गांव वासियों से वार्तालाप कर कार्यक्रम के समीक्षा करना तथा मॉनिटरिंग व मूल्यांकन करना तथा टीम को सहयोग प्रदान करना।
- ❖ टीकाकरण के दिन आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाना तथा गांव की गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण को सुनिश्चित करना।

गतिविधियाँ तथा उपलब्धियाँ :-

स्वास्थ्य जाँच :- हंस मोबाईल मेडिकल सर्विसेज कार्यक्रम की टीम चयनित गांवों में माह में 2 बार जाती है तथा स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गांववासियों से सम्पर्क होता है। एम्बुलेंस के आने की खबर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा ग्राम वासियों को दी जाती है। गांवों में कार्यक्रम की गाड़ी को हंस की गाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रातः 9 से 10 बजे तक के बीच टीम गांव में पहुँच कर मरीजों, गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, परियोजना अधिकारी व नर्स के साथ धात्री महिलाओं से सम्पर्क किया जाता है। यदि किसी धात्री महिला को कोई समस्या होती है तो टीम द्वारा जाँच कर उपचार किया जाता है। इसके साथ आवश्यक सलाह भी दी जाती है।

परियोजना का संचालन मई 2014 से किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में परियोजना द्वारा 17575 मरीजों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवायी गयी।

वर्ष	महिला	पुरुष	बच्चे	कुल
2014-15	9148	5789	2443	17380
2015-16	12563	1817	4182	18562
2016-17	11543	2179	3853	17575
कुल	33254	9785	10483	53522

परियोजना द्वारा अब तक 33254 महिलाओं तथा 10483 बच्चों की स्वास्थ्य जाँच एवं चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसमें सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार शामिल है।

स्वास्थ्य जाँच के साथ-साथ मरीजों को दवा भी दी जाती है। कई मरीजों का उपचार 2-3 महिने तक भी चलता है। गर्भवती महिलायें लगातार 9 महिने तक टीम के सम्पर्क में रहती हैं तथा नियमित जाँच का मूल्यांकन एवं दवाईयाँ प्राप्त करती हैं।

गर्भवती एवं धात्री महिला जाँच :- कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में ग्रामवासियों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों को लाभान्वित करना है। महिलाओं में गर्भवती तथा धात्री महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। परियोजना के तहत इस सत्र में 338 गर्भवती महिला पंजीकृत की जा चुकी है। पंजीकृत गर्भवती महिला 9 माह में बार-बार उपचार या जाँच करवा चुकी है। इस प्रकार 338 गर्भवती महिलायें 2388 बार उपचार हेतु आयी। प्रसव पश्चात परियोजना टीम द्वारा धात्री महिला के घर जाकर माँ व बच्चे की देखभाल की जाती है। जिसमें स्तनपान का तरीका, समय व माँ का पोषाहार, जन्म प्रमाण पत्र, उठने व बैठने की स्थिति, स्वच्छता, बच्चों का टीकाकरण व जननी सुरक्षा योजना की जानकारी आदि विषयों पर चर्चा की जाती है।

टीकाकरण :- कार्यक्रम के तहत टीम द्वारा टीकाकरण नहीं किया जाता है जबकि टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकाकरण के दिन ऑंगनबाड़ी में जाता है तथा ए.एन.एम. व ऑंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग करता है। जागरूकता बैठकों एवं ग्राम स्वास्थ्य कमेटी की बैठकों में एच.एम.एस. टीम महिलाओं एवं ग्रामवासियों को टीकाकरण का महत्व तथा उपयोगिता बतायी जाती है तथा टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जाता है। टीम के सहयोग से इस सत्र में 2123 बच्चों का टीकाकरण करवाया जा चुका है।

मातृ मृत्यु दर / शिशु मृत्यु दर :- कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को अधिक से अधिक उपचार व जागरूक कर मातृ मृत्यु दर / आई.एम.आर. को कम करना। उसके लिये परियोजना टीम के द्वारा विभिन्न जागरूकता बैठकों के माध्यम से महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित किया गया तथा संस्थागत प्रसव के लाभ बताये गये तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है।



GMVS

कार्यक्रम के दौरान एक भी माता की मृत्यु नहीं हुई तथा 171 जीवित जन्में हुये शिशुओं में से 9 शिशुओं की मृत्यु हुई। संस्था द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों के कारण संस्थागत प्रसवों में बढ़ोतरी तथा आई.एम.आर./एम.एम.आर. में कमी आई है।

जागरूकता बैठक :— एच.एम.एस. टीम द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ—साथ जागरूकता बैठकों का आयोजन भी करती है। ताकि लोगों को समय रहते हुये विभिन्न बीमारियों की जानकारी तथा बचाव के तरीके बताये जा सके। संस्था द्वारा परियोजना के तहत इस सत्र में महिलाओं के साथ 147 बैठक, किशोरी के साथ 71 बैठक तथा ग्राम स्वास्थ्य कमेटी के साथ 144 बैठकों का आयोजन किया गया है। इन जागरूकता बैठकों के माध्यम से 3408 महिलाओं व 1605 किशोरी बालिकाओं तथा 1941 गांव वासियों को ग्राम स्वास्थ्य कमेटी सहित जागरूक किया गया।

संस्थागत प्रसव :— संस्था द्वारा परियोजनाओं के अन्तर्गत गर्भवती महिला एवं धात्री महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती है। जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित किया जाता है। संस्थागत प्रसव के फायदे बतायें जाते हैं। संस्था के प्रोत्साहन के बाद अब तक 150 प्रसव सरकारी संस्थानों, 16 प्रसव प्राइवेट या निजि संस्थानों तथा 5 प्रसव घर पर हुये हैं। संस्था द्वारा जागरूक करने के बाद संस्थागत प्रसवों में बढ़ोतरी हुई है।

कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएँ

- मिनाक्षी मिशन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर** :— वर्ष 2015–16 में कार्यक्रम को बेहतर क्रियान्वयन हेतु मिनाक्षी मिशन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर संस्था का सहयोग प्राप्त हुआ। मिनाक्षी मिशन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर के द्वारा महिला व बच्चों के लिये दवाईयाँ निःशुल्क प्रदान की गयी। एक एलबिनाजॉल गोली तथा विटामिन ए कैप्सूल बच्चों के लिए तथा विटामिन एन्जेल गर्भवती महिलाओं के लिए। विटामिन एन्जेल के 1 पैकेट में 6 माह की दवा है जो HMMS टीम के द्वारा पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को दी गयी। टीम के द्वारा 318 गर्भवती महिलाओं को विटामिन एन्जेल वितरित की गयी। एलमिन्डाजॉल तथा विटामिन ए की दवा 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों के लिये है।
- एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड** :— HLL Life Care Limited द्वारा इस वर्ष जुड़कर HMMS कार्यक्रम को सहयोग प्रदान किया गया। इस संस्था द्वारा सस्ती दरों पर सेनेटरी नेपकीन उपलब्ध करवाये गये। HMMS कार्यक्रम द्वारा सेनेटरी नेपकीन की खरीद कर गांवों में वितरित किये गये। जागरूकता बैठकों में सेनेटरी नेपकीन की महत्ता पर चर्चा की गयी। HMMS कार्यक्रम के द्वारा गांवों में सस्ती दरों पर सेनेटरी नेपकीन उपलब्ध कराये गये। 54 सेनेटरी नेपकीन वितरित किये गये।

कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में बदलाव :— परियोजना द्वारा मई 2014 से श्रीनगर पंचायत समिति की 4 ग्राम पंचायतों के 12 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही थी। इसके बाद वर्ष 2016–17 में भी गांवों की सूची में थोड़ा परिवर्तन किया गया तथा उन गांवों को हटाया गया जहाँ पर पी.एच.सी. या सब सेन्टर उपलब्ध है। उन गांवों की जगह नये गावों को शामिल किया गया है। जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी

कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। परियोजना में आगामी वर्ष के लिये भी गांवों की सूची में परिवर्तन किया गया है। उन 06 गांवों को हटाया गया है जहाँ पर टीम द्वारा 3 साल से स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा रही थी। उन 6 गांवों की जगह अन्य नये 6 गांवों को जोड़ा गया। इन गांवों में किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह मुख्य सङ्क से 10–12 किलोमीटर दूर स्थित है तथा यातायात की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इन गांवों में अप्रैल, 2017 से स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जायेगी।

क्र.सं.	वर्ष		
	2014-15 & 2015-16	2016-17	2017-18
1	भवानीखेड़ा	भवानीखेड़ा	गुवारडी
2	दांता	दांता	कालेडी
3	जाटली	जाटली	गुदली
4	टिढ़ाणा	टिढ़ाणा	मानपुरा
5	निम्बुकिया	निम्बुकिया	मोहनपुरा
6	नौलखा	नौलखा	हाथीपट्ठा
7	खोड़ा	सराणा	सराणा
8	मुहामी	टण्ट्या	टण्ट्या
9	बुबानी	नारगाल	नारगाल
10	गुढा	साला की ढाणी	साला की ढाणी
11	गोडियावास	आखरी	आखरी
12	गेगल	लीरी का बाड़िया	लीरी का बाड़िया

इस तरह हंस मोबाईल मेडिकल सर्विसेज टीम गांवों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं तथा सुविधाएँ प्रदान कर रही है। ताकि स्वस्थ महिला का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।





GMVS

लक्षित हस्तक्षेप परियोजना “माईग्रेन्ट टी.आई.”, चित्तौड़गढ़ (Trargeted Intervention Migrant Programme, Chittorgarh)

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर—द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में 01 मार्च 2014 से लक्षित हस्तक्षेप माईग्रेन्ट परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को राजस्थान स्टेट एड्स कण्ट्रोल सोसायटी—जयपुर (राजस्थान) के वित्तीय सहयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा माईग्रेन्ट लोगों तक संस्था सदस्य द्वारा पहुँच बनाना है। ऐसे माईग्रेन्ट लोग जिनका व्यवहार जोखिम पूर्ण है। उनको संस्था द्वारा रजिस्ट्रर कर T.I. कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाएँ प्रदान करनी है।

उच्च जोखिम पूर्ण व्यवहार :-

1. शराब सेवन, अफीम, गांजा, भांग या अन्य दवाईयों का सेवन जिनसे माईग्रेन्ट को नशा आता है।
2. अत्यधिक लोगों से यौन सम्पर्क या महिला यौन कर्मी से योन सम्पर्क करना।
3. पुरुष का पुरुष के साथ यौन सम्पर्क करना।
4. बिना कण्डोम के यौन सम्पर्क करना।
5. एक सुई से या सीरींज से अन्य व्यक्ति द्वारा नशा लेना।

टी.आई. कार्यक्रम के अनुसार उच्च जोखिम के माईग्रेन्ट को संस्था द्वारा रजिस्ट्रर्ड करने के लिये कोई 01 सुविधा देनी होती है 01 परामर्श करना, 02 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, 03 संस्था द्वारा डी.आई.सी. का संचालन किया जा रहा है। वहाँ उस माईग्रेन्ट की उपस्थिति व सुविधाएँ प्राप्त करना है। संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सरकारी कर्मचारी (एल.टी. व काउन्सलर) के माध्यम से रक्त की जाँच की जाती है। प्रत्येक माईग्रेन्ट जिनका व्यवहार उच्च जोखिम पूर्ण हो उनका प्रति छःमाह में रक्त की जाँच करवानी चाहिए।

संस्थान द्वारा वर्तमान में 27151 लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रोजेक्ट HRG भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित है। अधिकांश माईग्रेन्ट बिहार, झारखण्ड, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बंगाल व उड़ीसा एवं राजस्थान राज्यों से है।

संस्था द्वारा महिला व पुरुष दोनों माईग्रेन्ट लोगों को जोड़ा है। ये सभी माईग्रेन्ट फैकिट्रियों, FCI गोदाम व रेल्वे फाटक, रेल्वे ट्रेक, व अन्य कार्यों जैसे ईंट निर्माण कार्य, लोडिंग, अनलोडिंग कार्यों, हमाल कार्यों से सम्मिलित हैं।

फैकिट्रियों मे से आदित्य फैकट्री सावा, बिड़ला सीमेन्ट, लाफार्ज, जे.के. मांगरोल, वंडर सीमेन्ट, के.के. कोटेक्स, गणपति फर्टीलाईजर्स, बिरला सीमेन्ट आदि में माईग्रेन्ट कार्यरत हैं।

अन्य क्षेत्रों जैसे:- मारुति ब्रिक्स, निर्माण कार्यों व अन्य व्यवसाय से जुड़े हैं।

को जाँचा गया व दवाईयों का वितरण किया गया। 4060 लोगों को परामर्श दिया गया। परामर्श के द्वारा उनके जोखिम पूर्ण व्यवहार को जाना गया। संस्था द्वारा इस सत्र में 36600 कण्डोम को माईग्रेंट को बेचा गया। 3325 लोगों की HIV जाँच की गई। 830 लोगों की STI यौन रोगों की जाँच की गई व साथ ही उनको परामर्श व दवाईयों का वितरण किया गया। 72 नुक्कड़ नाटक व पपेट शो का आयोजन किया गया था। साथ ही TI क्षेत्रों में डिमाण्ड जनरेट गतिविधि करवाई गई। साथ ही कागेरेशन इवेन्ट भी करवाया गया जिसके माध्यम से माईग्रेंट, सुपरवाईजर, गेट किपर, CSR/HR की जानकारी दी गई लोगों की पहुँच TI ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं तक जोड़ना।

संस्था द्वारा समय—समय पर एडवोकेसी बैठक का आयोजन आवश्यकता होने पर की जाती है। फिल्ड में किसी प्रकार का वाद—विवाद जो TI संबंधी सलाह क्षेत्र में आता है। उनके लिये सलाह दी जाती है। साथ संस्था द्वारा विभिन्न कमेटी का गठन किया गया जिसके तहत कार्यक्रम को किस तरह अच्छे से संचालित किया जा सकता है। उसके लिये बैठकें आयोजित की जाती हैं।

उद्देश्य :-

1. प्रतिवर्ष 10,000 माईग्रेन्ट लोगों को रजिस्टर्ड कर विभिन्न TI सुविधाओं से जोड़ना।
2. फिल्ड व डीआईसी में एकल व समुह बैठकों का आयोजन कर HIV/AIDS की जानकारी देना। साथ कण्डोम उपयोग को व्यवहार में लाने के लिये प्रेरित करना।
3. निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन व उसमें परामर्श कर HRG के व्यवहार को जानना माईग्रेन्ट की जाँचें व दवाईयों का वितरण करना।
4. HIV एड्स की जाँच व परामर्श करना ताकि जिनको HIV संक्रमण है उनको ART से लिंक करवाना। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर TB से संबंधित लोगों को DOT सेन्टर तक जोड़ना।
5. लोगों में एच.आई.वी, एड्स, यौन रोग फैलाव व बचाव की जानकारी देने के साथ ही कण्डोम उपयोगिता के प्रति जागरूक करना।
6. माईग्रेन्ट को सुरक्षित यौन व्यवहार के लिए प्रेरित करना ताकि संक्रमण को यथावत् स्थान पर ही रोका जा सकता है।

रणनीति :-

1. माईग्रेन्ट को डीआईसी, परामर्श व स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन से रजिस्ट्रेशन करना।
2. माईग्रेन्ट लोगों को निःशुल्क शिविर से जोड़ना व लोगों की उपस्थिति बढ़ना।
3. कण्डोम उपयोग व सुरक्षित व्यवहार के लिए प्रेरित करना व कण्डोम का सही उपयोग की जानकारी देना।
4. माईग्रेन्ट व एचआईवी एड्स एस.टी.आई./वी.डी.आर.एल. जाँच एवं सुरक्षित यौन व्यवहार के प्रति जागरूक करना।
5. कमेटी सदस्यों द्वारा कार्यक्रम को व्यवस्थित पूर्ण क्रियान्वयन करना।



GMVS

गतिविधियाँ :-

- ☞ **रजिस्ट्रेशन :-** उच्च जोखिम माईग्रेन्ट लोगों का रजिस्ट्रेशन करना ताकि उन लोगों को टी.आई. गतिविधियों से जोड़ा जा सकें व पहुँच बनायी जा सकें। पी.एल. व ओ.आर.डब्ल्यू द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्य किया जाता है।
- ☞ **परामर्श :-** संस्थान के परामर्शकर्ता द्वारा माईग्रेन्ट लोगों को परामर्श किया जाता है। परामर्शकर्ता द्वारा उच्च जौखिमपूर्ण व्यवहार के लोगों को ढूढ़ना व उनको एच.आई.वी. एडस टी.बी./एस.टी.आई. आदि संक्रमणों की जानकारी देना। परामर्श व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरह से किया जाता है। माईग्रेन्ट को 14 प्रकार से परामर्श किया जाता है जो उनके उच्च जौखिम व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर उसके जोखिम को कम करने व एच.आई.वी., एस.टी.आई. की जाँच के प्रति सजग करना हैं।
- ☞ **रेफरल व लिंकेज :-** उच्च जौखिम समूह को डी.आई.सी ऑफिस, आई.सी.टी.सी., ए.आर.टी., डॉट व अन्य जगह रेफर व लिंक करना। संक्रमित माईग्रेन्ट व्यक्ति ए.आर.टी. व अन्य सुविधाओं से लिंक करना है।
- ☞ **निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर :-** निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन द्वारा लोगों को जाँच, डॉक्टर के द्वारा रक्त जाँच, एल.टी. व परामर्शकर्ता द्वारा की जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रक्त की जाँच करवानी चाहिए।
- ☞ **नुक्कड़ नाटक :-** संस्थान द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को एच.आई.वी. एडस व एस.टी.आई., टी.बी. के प्रति जागरूक करना। एचआईवी फैलने के कारणों की जानकारी देना।
 1. असुरक्षित यौन सम्पर्क से।
 2. एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने से
 3. एचआईवी संक्रमित सूर्झ / सिरिंज के उपयोग से।
 4. एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला से होने वाले शिशु को।
 5. कण्डोम के सही उपयोग को समझना।
 6. प्रत्येक बार कण्डोम का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।
 7. साथी के प्रति वफादारी रखना।
- ☞ **डेटा मूल्यांकन :-** एम/ई. अकाउन्टेंड फील्ड से डेटा प्राप्त कर PM द्वारा उसकी जाँच कर प्रमाणित कर रिपोर्ट्स को एकत्रित कर आगे पहुँचाना जिनका क्रम PL-ORW-Counsellor-M&E-PM-PDI
- ☞ **व्यवहार परिवर्तन :-** माईग्रेन्ट लोग जिनका व्यवहार जोखिम पूर्ण हैं उनको बार बार मिलकर मधुर व्यवहार कर उसको अपनी बात को सुनने व समझने के लिए प्रेरित करना। ताकि स्वयं व परिवार को सुरक्षित जीवन प्रदान कर सकें।
- ☞ **कार्यक्रम :-** माईग्रेन्ट टी.आई. परियोजना में माईग्रेन्ट महिला व पुरुषों के साथ बैठकों का आयोजन करना, सर्वप्रथम माईग्रेन्ट लोगों के सुपरवाईजर, ठेकेदारों से समय लेकर उनको



जोड़ना है ताकि वह स्वयं को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, नुक़ख़ नाटक व पपेट शो आदि गतिविधियों से जुड़े रहे विभिन्न लोगों की एडवोकेसी कर कार्यक्रम में अनुकूल वातावरण निर्माण कर सही तरीके से TI परियोजना को संचालित करना। कण्डोम की महत्ता को समझ सकें। समय—समय पर HIV/AIDS संबंधि गतिविधियों का आयोजन जैसे नुक़ख़ नाटक, पपेट शो, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कानगिरेशन ईवेन्ट, डिमाण्ड जनेरेट गतिविधियाँ करना। साथ ही समय—समय पर एम.एल. श्रीमान चन्द्रभान आक्या, प्रधान प्रवीणसिंह जी व अन्य पदाधिकारी गण, आईसीटीसी टीम द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित होना। परामर्शकर्ता वन्दना दसोरा, लक्ष्मण जी, अनिल जी का समय—समय पर संख्या में योगदान प्रदान करना साथ ही डिप्टी सीएमएचओ द्वारा प्रत्येक समय पर सहयोग व मार्गदर्शन देने के लिये तत्पर रहते हैं।

उपलब्धियाँ :- कार्यक्रम जिला समन्वयक ममता सिंह चौहान व कमेटी सदस्य नरेन्द्र गर्ग व ब्रजेश कुमार द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग सीएसआर/एचआर फैक्ट्री, यूनियन के साथ नेटवर्क बनाना ताकि संस्थान की पहुँच माईग्रेन्ट तक हो सकें।





GMVS

महिला साक्षरता परियोजना, अजमेर (Women Literacy Programme, Ajmer)

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर गत 04 वर्षों से निरन्तर अजमेर जिले की सिलोरा एवं श्रीनगर पंचायत समितियों के 11 गांवों महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण असाक्षर महिलाओं को महिला साक्षरता कार्यक्रम (रात्रि शालाओं) के माध्यम से साक्षर करने के लिये सर रतन टाटा ट्रस्ट व सेन्टर फॉर माइक्रो फायनेन्स के वित्तीय सहयोग एवं मार्गदर्शन से सिलोरा एवं श्रीनगर पंचायत समितियों में निम्न 11 गांवों में उक्त कार्यक्रम के तहत रात्रि शालाओं का संचालन करते हुये निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने के लिये प्रयासरत है। कार्यक्रम का संचालन 1 जनवरी, 2014 से किया जा रहा है।

क्र. सं.	पाठशाला का नाम	गांव का नाम	ग्रा. पं. का नाम	पं. समिति का नाम	नामांकित महिलाएं
1	साथिन महिला पाठशाला	रलावता	रलावता	सिलोरा	25
2	सहेली महिला पाठशाला	रलावता	रलावता	सिलोरा	25
3	उजाला महिला पाठशाला	रलावता	रलावता	सिलोरा	25
4	गंगा महिला पाठशाला	सिणगारा	थल	सिलोरा	25
5	शारदा महिला पाठशाला	थल	थल	सिलोरा	25
6	देव महिला पाठशाला	टोकड़ा	खातौली	सिलोरा	25
7	लक्ष्मी महिला पाठशाला	निटुटी	पनेर	सिलोरा	25
8	लाडली महिला पाठशाला	सिणगारा	थल	सिलोरा	25
9	सखी सहेली महिला पाठशाला	सराणा	ऊँटड़ा	श्रीनगर	25
10	एकता महिला पाठशाला	दांता	गेगल	श्रीनगर	25
11	रोशनी महिला पाठशाला	बूबानी	बूबानी	श्रीनगर	25
12	धनोप महिला पाठशाला	हाथीपट्टा	फारकिया	श्रीनगर	25
13	गायत्री महिला पाठशाला	सराणा	ऊँटड़ा	श्रीनगर	25
14	तारा महिला पाठशाला	टिढाणा	नरवर	श्रीनगर	25
15	सरस्वती महिला पाठशाला	निम्बूकिया	नरवर	श्रीनगर	25

इस प्रकार पंचायत समिति सिलोरा की 04 ग्राम पंचायतों के 05 गांवों में संचालित 08 रात्रि पाठशालाओं के माध्यम से 200 महिलाओं को साक्षर किया जा रहा है। इसी तरह पंचायत समिति श्रीनगर में 05 ग्राम पंचायतों के 06 गांवों में 07 रात्रि पाठशालाओं का संचालन करते हुये 175 महिलाओं को साक्षर किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 375 महिलाओं को साक्षर किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने के साथ—साथ अखबार एवं विभिन्न किताबें भी पढ़ने लगी हैं। साथ ही अपने स्वयं सहायता समूह की डायरी, बैंक डायरी व अपनी व्यक्तिगत पासबुक को पढ़कर अपना हिसाब किताब स्वयं करने लगी हैं। आत्मनिर्भर होकर स्वयं सहायता समूह की मासिक बैठक व प्रोसेडिंग स्वयं पढ़ने व लिखने लगी हैं। बैंक में स्वयं नोट गिनकर, बैंक की जमा पर्ची भी भरकर किस्त स्वयं जमा करवाती है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा तथा साधारण सभा में जाने लगी व अपना हक समझकर बेझिझक बोलने लगी है तथा सरकारी परियोजनाओं को समझकर लाभ लेने लगी है। नरेगा में आवेदन फार्म व जॉब कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड तथा आधार कार्ड को पढ़कर उपयोग करने लगी हैं जो महिलाएं पढ़ना लिखना नहीं जानती थीं, अपने आपको निर्बल असहाय समझती थीं वो महिला साक्षरता का धन पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- ❖ ग्रामीण क्षेत्र में संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी निरक्षर महिलाओं को दैनिक जीवन में साक्षरता को लेकर आने वाली समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनाना।
- ❖ गांवों में संचालित होने वाली विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ❖ स्वयं सहायता समूहों का क्षमतावर्द्धन के लिए क्रियात्मक साक्षरता को विकसित करना।
- ❖ समूह की महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करते हुए उनका सशक्तिकरण और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना।
- ❖ गांवों में संचालित विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं एवं गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ❖ ग्राम सभाओं एवं सामाजिक विकास के लिए अधिकार के साथ भाग लेना।
- ❖ आरम्भ में प्राथमिक स्तर तक महिलाओं को साक्षर बनाना।
- ❖ महिलाओं को शैक्षिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे स्वयं सहायता समूह के हिसाब रजिस्टर एवं बैठक रजिस्टर आदि की कार्यवाही आदि को जान सके एवं अपना हिसाब—किताब स्वयं रख सके।



GMVS

रणनीति

- ❖ समूह मासिक बैठकों में महिलाओं को निरक्षरता एवं अशिक्षा से दैनिक जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं से परिचित कराना।
- ❖ महिला समर्पित गतिविधियों में महिलाओं, महिला कलस्टर एवं समुदाय विशेष के साथ नियमित एवं ज्यादा से ज्यादा बैठकें आयोजित करना।
- ❖ कार्यक्रम से जुड़ी हुई महिलाओं का अन्य महिलाओं से सम्पर्क कराना व आपसी विचार विमर्श करना जिसमें पढ़ी लिखी व साक्षर महिलाओं तथा निरक्षर महिलाओं कार्यकलापों की दैनिक जीवन की तुलना करना।
- ❖ समय—समय पर महिला अध्यापिकाओं के विभिन्न प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करना।
- ❖ दस्तावेजी करण एवं योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करवाने के लिए नयी—नयी विधियाँ तैयार करना।
- ❖ एक रात्रिशाला का दूसरी रात्रि शालाओं में भ्रमण करवाना तथा आपसी प्रतियोगिता करवाना, नये नये तरीकों से साक्षरता के प्रति नया जोश व जूनून पैदा करना।
- ❖ समय—समय पर योजनाबद्ध मूल्यांकन व स्तर जाँच करना।
- ❖ महिला अध्यापिकाओं एवं सहभागी महिलाओं के अनुरूप पाठशाला समय, स्थान एवं अध्यापिकाओं का चयन करना।
- ❖ स्कूली साक्षरता को व्यावहारिक बनाकर महिला स्वयं सहायता समूह की क्षमता को सुधारने के लिए कार्यात्मक साक्षरता को विकसित करना।

मुख्य गतिविधियाँ

महिला स्वयं सहायता समूह व कलस्टर और समुदाय के साथ साक्षरता की जरूरत को निकालने के लिए बैठकें करना जिससे स्थानीय साक्षरता की आवश्यकता निकल कर सामने आयी। गांवों का 10 प्रतिशत सर्वे करना जिससे वहाँ के वातावरण व उनकी पारिवारिक व व्यवसायिक स्तर का आकलन हो सकें।

स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं व कलस्टर के साथ बैठकें करके साक्षरता की जरूरत मंद महिलाओं की सूची तैयार की गयी। इसी प्रकार अध्यापिकाओं व स्थान समय का चयन किया गया। इसी प्रक्रिया में यह शर्त रखी गयी है कि अध्यापिका स्थानीय व 10 वीं या 12 वीं तक पढ़ी लिखी हो। महिला अध्यापिका ईमानदार, सेवाभावी, समय की पाबंद, कर्तव्यनिष्ठ और मधुरभाषी समय—समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं बैठकों में भाग लेने वाली हो। उपरोक्त नियमों के अनुसार उन सभी महिलाओं व समुदाय की सर्व सहमति से अध्यापिकाओं का चयन किया गया।

पाठशाला संचालन समय व स्थान का चयन सभी महिलाओं की सर्व सहमति से स्थान व समय तय किया गया। समय—समय पर मूल्यांकन व हर तीसरे माह अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण व शैक्षणिक भ्रमण भी करवाना। पाठ्यक्रम तैयार करना, ओ.एल.पी. का रिसोर्स किट व संस्थान व एस.आर.टी.टी. से बार—बार रिसोर्स व्यक्ति द्वारा पाठ्यक्रम तैयार करवाना व स्थानीय भाषा में लागू करवाना व अध्यापिकाओं की समझ बनाना तथा योजना के साथ शिक्षण करवाने के लिए तैयार करना। रिपोर्ट व दस्तावेजीकरण भी तैयार करना।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बुबानी, अजमेर के घनश्याम सादावत जो महिला साक्षरता कार्यक्रम के परियोजना समन्यवक है के द्वारा समय—समय पर कार्यक्रम मॉनिट्रींग करते हुए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिससे कार्यक्रम को सुनिश्चित तरीके से संचालित किया जा रहा है। सभी अध्यापिकाओं को दिशा निर्देश दिया जाता है।

परियोजना के शुरूआत से पहले की स्थिति

परियोजना के शुरूआत से पहले महिलाओं को अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने कभी भी अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का मौका भी नहीं मिला और ना ही शिक्षा ग्रहण करने के बारे सोचा था। क्षैत्र की महिलाओं के दिल में विश्वास नहीं था कि कभी पढ़ने लिखने या स्लेट हाथ में लेकर पढ़ सके। यह महिलाएँ दूसरे लोगों पर निर्भर रहती थीं अपना नाम आदि लिखने में असक्षम अपने हस्ताक्षर करने की जगह अंगूठा का इस्तेमाल करती। किसी प्रकार की चिट्ठी पत्री या अपने दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पेंशन की रसीद या बैंक या डाक घर की पास बुक, भामाशाह कार्ड आदि को पहचान कर उपयोग नहीं कर पाती थी। पहचान करवाने के लिए पढ़े लिखे लोगों के सामने पूरी पोटली ले जाती थी, जिससे आनन फानन में कई दस्तावेज गुम हो जाते थे या गलत इस्तेमाल कर लिए जाते थे। इन महिलाओं को यह लगता था कि हमारी पढ़ने लिखने की उम्र भी निकल गई है। अब हम पढ़े लिखे नहीं सकती। हमें हमारी जिन्दगी इसी तरह गुजारनी है। हमारी पढ़ाई लिखाई का जीवन में कोई महत्व नहीं है। अपने स्वयं सहायता समूहों की बैठकों आदि में मुंशी लेखाकार आदि पर निर्भर रहती थी।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

महिलाएँ अब धीरे—धीरे पढ़ने लगी हैं व उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है उन्हें अपने आप पर यह विश्वास हो गया कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती हैं केवल अपना आत्म विश्वास व प्रयासरत रहने से हम पढ़ना लिखना भी सीख गई हैं वर्तमान में इन केन्द्रों पर 400 से अधिक महिलाओं ने अपना नाम लिखना सीख गई है। और नियमित पाठशाला से जुड़ने वाली महिलाएँ आज कक्ष प्रथम से कक्षा पांचवीं तक कहीं पर तो कक्षा आठवीं का सरकारी स्कूल में जाकर अपना स्तरनुमा प्रमाण पत्र प्राप्त किया और काफी जगह अपने स्वयं सहायता समूह की बैठक भी स्वयं ही लिखने लगी हैं।



GMVS

महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम (Women Self Help Group Programme)

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर के द्वारा नागौर जिले की आठ पंचायत समितियों के लगभग 325 गांवों में महिला स्वयं सहायता समूह गठन व संचालन कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के वित्तीय सहयोग से चला रही है। संस्थान पिछले 17 वर्षों से महिला स्वयं सहायता समूह गठन व संचालन करने के लिए नाबार्ड, अरावली सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा सी.एम.एफ. यू.एन.डी.पी. एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए वित्तीय, तकनीकि प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करने व इस कार्यक्रम को लम्बे समय तक चलाने के लिए महिला फैडरेशन का गठन करके संचालित कर रही है।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर राजस्थान में समूह गठन व संचालन करने के लिए प्रमुख संस्थाओं में गिनी जाती है। संस्थान ने इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष पहचान बनाई है। क्योंकि संस्थान का लम्बा कार्य अनुभव होने के कारण सरकारी व प्राईवेट सेक्टर की बैंकों के साथ जुड़ाव है। जैसे—आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक आदि बैंकों से समूहों को जोड़कर बचत खाता खुलवाना, गांव में डिफाल्टर को समझाकर रिकवरी करवाना और समूहों को ऋण दिलवाकर महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर, महिला स्वरोजगार, उन्नत पशुपालन, तकनीकि कृषि इत्यादि उत्कृष्ट कार्य संस्थान निरन्तर कर रही है। वित्तीय वर्ष में संस्था आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से प्रति माह लगभग 02 करोड़ का लोन समूहों को दिलवा रही है। यह लोन समूह बैंक को 100 प्रतिशत ब्याज सहित चुकता कर रही है।

उद्देश्य :

- ❖ महिलाओं को समूह के माध्यम से संगठित करना।
- ❖ महिलाओं का समूहों से जुड़ाव करके बैंक से जोड़ना व आवश्यकतानुसार ऋण दिलवाना।
- ❖ महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना।
- ❖ महिलाओं के हुनर को निखारना।
- ❖ सरकारी गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को जोड़ना।
- ❖ विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का क्षमतावर्धन करना जिससे स्वयं और परिवार का विकास करने में मदद मिले।
- ❖ महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कर इन्हें साक्षर व शिक्षित बनाकर समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ❖ महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना।
- ❖ महिलाओं समूहों में बनाये गये उत्पादों को उचित कीमत में बाजार बेचने की व्यवस्था।

- ❖ बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना ।
- ❖ अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ना ।

रणनीति :-

- ❖ समूहों की महिलाओं को सरकारी व गैर सरकारी गतिविधियों से ज्यादा सहभागी बनाना ।
- ❖ क्षेत्र गांव व महिलाओं का चयन करके समूह गठन करना ।
- ❖ छोटी-छोटी बचत करवाने की आदत निरन्तर बचत करना ।
- ❖ बैंक से जोड़कर ऋण उपलब्ध करवाना
- ❖ महिलाओं की आवश्यकता पर उचित मदद करना ।



उपलब्धियों :-

- ❖ समूहों का गठन ।
- ❖ बैंक से 100 प्रतिशत जुड़ाव ।
- ❖ बैंक से 100 प्रतिशत ऋण दिलवाना ।
- ❖ बचत निरन्तर करने के लिए प्रेरित करना ।
- ❖ विशेष तौर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ।
- ❖ लोगों को सेठ, साहूकारों के चुंगल से छुटकारा दिलवाना ।
- ❖ महिलाओं की समूह के पाँच सूत्र के प्रति समझ विकसित करना ।

गतिविधियाँ :-

समूह गठन :- नाबाड़ के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर के द्वारा 2000 महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करके संचालन किया जा रहा है । यह अजमेर व नागौर जिले की 8 पंचायत समितियों में महिला स्वयं सहायता समूह गठन कार्यक्रम संचालित है ।

समूह बचत खाता खुलवाना :- गठित महिला स्वयं सहायता समूह का तीन माह के बाद आस पास की बैंक में बचत खाता खुलवाया जाता है । ताकि समूह से जुड़ी महिलाओं को बैंक के कार्यों के प्रति जागरूक हो सके और जब ऋण लेने की आवश्यकता हो तो बैंक में आवेदन करने में सक्षम हो ।

बैंक ऋण :- संस्थान द्वारा संचालित समूहों को बैंक से जोड़कर उनको ऋण दिलवाया जाता है जिससे समूह सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और रोजगार में निवेश कर सकें ।

समूह सदस्यों को बीमा से जोड़ना :- संस्थान द्वारा समूह सदस्यों को जीवन बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है और सदस्यों को बीमा से जोड़कर उनका और उनके परिवार के जोखिम को कम किया जा सकें ।

शिविरों का आयोजन :- समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वास्थ्य शिविरों से जोड़कर लाभान्वित किया जाता है और स्वास्थ्य परामर्श, आर्थिक परामर्श भी दिया जाता है ।



GMVS

समूह सदस्यों का वार्षिक बजट तैयार करवाना :- समूह से जुड़े सदस्यों का संस्था द्वारा वार्षिक बजट तैयार करवाना और अनावश्यक खर्चों को कम करना और शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए प्रेरित करना।

समूहों का प्रशिक्षण के माध्यम से :- संस्थान द्वारा संचालित समूहों को अलग-अलग रोजगार पर प्रशिक्षित करके उनकी आमदनी बढ़ाना व आर्थिक रूप से सशक्त करना व स्वरोजगार को बढ़ावा देना।

उन्नत खेती व पशुपालन :- संस्था द्वारा समूह के सदस्यों को तकनीकि जानकारी व प्रशिक्षण देकर उन्नत खेती व उन्नत पशुपालन को बढ़ावा देने का कार्य भी करती है। समय-समय पर भ्रमण, परामर्श सहयोग देकर लाभान्वित करना।

महिला फैडरेशन कार्यक्रम (Women Federation Programme)

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर के द्वारा वर्ष 2011 में एक महिला संगठन का गठन किया। यह संगठन गठित होते ही सोसायटी एक्ट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया है। यह संगठन ग्रामीण महिला जागृति समिति (फैडरेशन) दांता के नाम से जाना जाता है। यह महिला संगठन 02 पंचायत समिति के 35 गांवों में कार्य कर रहा है। फैडरेशन मुख्यतः महिलाओं को छोटे-छोटे समूहों में संगठित करके बेहद बड़े रूप से कार्य कर रहा है। संगठन को गठित और संचालन करने के लिए सर रतन टाटा ट्रस्ट के वित्तिय सहयोग से और सेन्टर फॉर मार्ईक्रोफाइनेन्स जयपुर के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। समय-समय पर महिला फैडरेशन का आर्थिक सहयोग ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी द्वारा दिया जा रहा है। वर्तमान में महिला फैडरेशन में 300 समूह जुड़े हुए हैं।

फैडरेशन का मुख्य लक्ष्य :- ग्रामीण महिला जागृति (फैडरेशन) का गठन करके संचालित करने का महिलाओं को संगठित करके उनको एक मंच देकर अपने-अपने विचार, अनुभव व समस्याओं का एक स्थान पर सबके सामने लाना और उन पर मंथन करके निवारण करना तथा महिला शक्ति को बढ़ावा देना और सरकार व वित्तीय संस्थानों के साथ जोड़कर कौशल विकास, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास व आर्थिक विकास से महिला सशक्तिकरण करना है।

समूह स्तर पर गतिविधियाँ :- ग्रामीण महिला जागृति समिति (फैडरेशन) में वित्तिय वर्ष में नये समूह गठन किये गये और जो समूह पहले से ही संचालित है। उनको फैडरेशन में नियमों का पालन करने वाले समूहों को जोड़ा गया। फैडरेशन में नये व पुराने समूहों को क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिया। जिन समूहों को लेखा संधारण की समस्या आ रही है। उन समूहों के एक-दो सदस्यों को लेखा संधारण का भी प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 60 समूहों में पदाधिकारी रोटेशन किये गये। नये पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया

और समूह स्तर पर समय—समय पर फैडरेशन व संस्थान ने विभिन्न गतिविधियाँ करके कार्यक्रम को सफल बनाया।

क्लस्टर स्तर पर गतिविधियाँ :- ग्रामीण महिला जागृति समिति फैडरेशन के द्वारा गठित 15 क्लस्टरों को सी.एम.एफ. के वित्तीय सहयोग से क्लस्टर पदाधिकारियों को दो दिवसीय नेतृत्व व क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिया गया। क्लस्टर स्तर पर ग्रेडिंग, मूल्यांकन व ऑडिट की गई। फैडरेशन ने क्लस्टरों में पदाधिकारियों की विजिट करवाई। एक—दूसरे क्लस्टरों की आम सभाएँ की गई। नये पदाधिकारियों का चुनाव क्लस्टर स्तर पर किया गया। विभिन्न योजनाएँ जो सरकार द्वारा चल रही थी उन योजनाओं से क्लस्टर के सदस्यों का मार्गदर्शन करके जोड़ने का कार्य इस वर्ष के अन्तर्गत किया गया। सी.एम.एफ. के द्वारा दिया गया सॉफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री भी क्लस्टर से जुड़े समूहों की करवाई गई। बैंक लोग की मांग भी क्लस्टरों के माध्यम से आने के कारण बढ़ गई। संस्थान व फैडरेशन क्लस्टर स्तर पर समुदाय संदर्भ व्यक्ति तैयार किये गये जो क्लस्टर स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

फैडरेशन स्तर पर गतिविधियाँ :- ग्रामीण जागृति समिति (फैडरेशन) दांता के द्वारा वित्तीय वर्ष में फैडरेशन विजन बिल्डिंग प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिससे फैडरेशन सदस्यों को अपने संगठन अगले पाँच वर्षों में कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। यह सोच विकसित हुई। साथ ही फैडरेशन में पदाधिकारियों का भी चुनाव किया गया। रोटेशन पॉलिसी के साथ फैडरेशन की आम सभा में सर्व सहमति से चुनाव किया गया था। फैडरेशन को संचालित करने के लिए आय के साधन जुटाने के लिए बैंक व अन्य ऐजेन्सियों के साथ निरन्तर चर्चा कर रहा है। ग्रामीण महिला जागृति समिति धीरे—धीरे अपना विस्तार कर रही है। फैडरेशन से जुड़े समूहों, क्लस्टरों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और नये पदाधिकारियों की मेहनत लगन से यह सब हो रहा है। समय पर ग्रेडिंग, ऑडिट, लेखा संधारण व ऑफिस का संचालन फैडरेशन खुद कर रहा है।





GMVS

कलस्टर प्रशिक्षण की विषय वस्तु :-

- ❖ कलस्टर क्या है
 - ❖ कलस्टर का ढाँचा
 - ❖ कलस्टर की जरूरत क्यों है
 - ❖ कलस्टर की मुख्य समस्या क्या है
 - ❖ कलस्टर बनाने के दीर्घावधि उद्देश्य
 - ❖ कलस्टर के सफल संचालन करने के तरीके
 - ❖ कलस्टर के कार्य क्या होने चाहिए
 - ❖ कलस्टर की भूमिका
- प्रशिक्षण में इन बिन्दुओं पर कलस्टर पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।



समुदाय संदर्भ व्यक्ति क्षमतावर्धन प्रशिक्षण :-

- ❖ कलस्टर सी.आर.पी. के गुण।
- ❖ सी.आर.पी. के कार्य।
- ❖ सी.आर.पी. की भूमिका।
- ❖ सी.आर.पी. की कार्य योजना।
- ❖ सी.आर.पी. की कार्य के प्रति सक्षमता व योग्यता।



समूह ऑडिट प्रशिक्षण :-

- ❖ लेखा जोखा कैसे करें।
- ❖ एस.एच.जी. को लम्बे समय तक संचालन में ऑडिट की भूमिका।
- ❖ एस.एच.जी. ऑडिट से समूह को क्या प्रभाव।
- ❖ एस.एच.जी. ऑडिट से समूह गुणवत्ता को सुधारना।

वित्तीय वर्ष में समूह, कलस्टर, फैडरेशन स्तर पर अलग-अलग प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। प्रशिक्षण होने के बाद समूह, कलस्टर, फैडरेशन की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

फैडरेशन की कार्य प्रणाली :- ग्रामीण महिला जागृति समिति (फैडरेशन) दांता की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है क्योंकि फैडरेशन के स्टाफ के सदस्यों में आपसी तालमेल बहुत अच्छा है। समय-समय पर मार्गदर्शन करती रहती है। जिसके कारण लम्बे समय से फैडरेशन अपने स्तर पर संचालित हो रहा है। फैडरेशन के गठन के बाद क्षेत्र में आये निम्नलिखित बदलाव व अच्छे कार्य हुए हैं।

उपलब्धियाँ :-

- ❖ महिलाओं में जागरूकता आई है।
- ❖ महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया।
- ❖ छोटे-छोटे उद्योग विकसित हुए।
- ❖ महिलाएँ साक्षरता से जुड़ी।
- ❖ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
- ❖ बाल विवाह पर रोक।
- ❖ स्वरोजगार को बढ़ावा।
- ❖ राजनैतिक क्षेत्र में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी।
- ❖ घर में निर्णय लेने में महिलाओं का हस्तक्षेप हुआ।
- ❖ परिवार में महिला व पुरुष का दोनों का लगभग समान योगदान होने लगा है।
- ❖ पशुपालन व खेती में महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों की अब भागीदारी होने लगी।
- ❖ महिलाओं पर अत्याचार कम होने लगे हैं।
- ❖ महिलाएं संगठन के माध्यम से घर से बाहर निकलने लगी।
- ❖ महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार आया।



किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम नागौर (Farmer Producer Organization Programme Nagaur)

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबाड़ के वित्तिय सहयोग से एवं ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर के द्वारा नागौर जिले की रियाबड़ी व परबतसर के निम्न गांवों में 05 किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन किया गया।

मुख्य उद्देश्य :-

- ❖ कृषक उत्पादन संगठन को प्रारम्भिक अवस्था के दौरान अपेक्षित वित्तिय और गैर वित्तिय सहायता प्रदान करना।
- ❖ कृषक उत्पादन संगठन के संबंध में :-

○ जागरूकता पैदा करना।	○ क्षमता निर्माण करना।
○ तकनीकि सहायता।	○ पेशेवर प्रबंधन
○ बाजार तक पहुँच	○ विनियामक अपेक्षाएँ
- ❖ कृषक उत्पादक संगठनों को 3 वर्षों तक हेण्ड होल्डिंग प्रदान करना।



GMVS

❖ कृषक उत्पादन संगठनों के मुख्य कार्य :—

- उत्पादक तकनीकि को बढ़ाना। ○ आपूर्ति का प्रबंधन।
- साधनों को लेना। ○ मूल्य वृद्धि।

❖ ऋण से जोड़ना।

❖ इस प्रकार के कदम द्वारा आश्वस्त करना की उत्पाद बाजार योग्य है।

❖ बाजार में उत्पाद को इस तरह रखना कि ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले।

नागौर जिले की पंचायत समिति रियाबड़ी व परबतसर के निम्न गांवों में किसान उत्पादन संगठनों का गठन किया गया है। जो अलग—अलग प्रोडक्शन पर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यतः सभी कम्पनियाँ खरीफ की फसल हेतु किसानों को समय पर खाद् बीज दिलवाने के लिये कार्य कर रही है। नागौर जिले की पंचायत समिति रियाबड़ी एवं परबतसर के निम्न गांवों में किसान प्रोड्युसर कम्पनियाँ संचालित की जा रही हैं।

क्र. सं.	किसान उत्पादक संगठन का नाम	गांव	पंचायत समिति
1	पीह एग्रो फूड प्रोड्यूसर कम्पनी लि.	पीह	परबतसर
2	लोकजन एग्रो फूड प्रोड्यूसर कम्पनी लि.	रघुनाथपुरा	परबतसर
3	निरन्तर एग्रो फूड प्रोड्यूसर कम्पनी लि.	कस्वा की ढाणी	रियाबड़ी
4	श्री राताढूण्डा एग्रो फूड प्रोड्यूसर कम्पनी लि.	राताढूण्डा	रियाबड़ी
5	ढाणीपुरा एग्रो फूड प्रोड्यूसर कम्पनी लि.	भैरुन्दा	रियाबड़ी

किसान उत्पादक संगठनों के सफल क्रियान्वयन हेतु गांवों में किसानों के साथ बैठक आयोजन करना एवं सरकारी व गैर सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी दिलवाना। कृषि पर्यवेक्षक को एवं कृषि ज्ञान केन्द्र के कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना मुख्य है व कम पानी में पैदावार वाली फसलों के बारे में प्रेरित किया जाता है। किसानों को एक मंच पर लाना एवं संगठनात्मक रूप से कार्य करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।



किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम अजमेर (Farmer Producer Organization Programme Ajmer)

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर द्वारा पंचायत समिति भिनाय में संचालित कार्यक्रमों महिला स्वयं सहायता समूह तथा किसान उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आदि नाबाड़ जयपुर के वित्तीय सहयोग से 04 कम्पनियों का पंजीकरण कम्पनी एक्ट में मार्च 2016 में करवाया गया। कम्पनी से उत्पादनकर्ता तथा उपभोक्ता के मध्य दूरी को कम करना कम्पनी संचालन का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु कम्पनी बोर्ड तथा संस्थान कार्यरत है जो कि 20 गांवों के 4000 किसानों को साथ जोड़ा गया है।

1. बेसलाईन सर्वे :- कम्पनी बनाने से पूर्व कार्यक्षैत्र का सर्वे किया गया जिसमें किसानों की आवश्यकता तथा क्षेत्र में मुख्य उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही किसानों को कम्पनी गठन करने के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें खायड़ा, उदयपुरखेड़ा में मूंग उत्पादन तथा रैण—भैरुखेड़ा में कपास उत्पादन पर कार्य करना।

2. कमेटी गठन व रजिस्ट्रेशन :- क्षेत्र में सर्वे अनुसार जिन किसानों के पास 01–15 बीघा जमीन है उन किसानों के साथ एक बैठक की गई जिसमें किसान उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई साथ ही उन्होंने किसानों के द्वारा कम्पनी बोर्ड का गठन किया गया। साथ ही कम्पनी पंजीकरण करवाने हेतु निर्णय लिया गया तथा कम्पनी के 05 निर्देशक तथा 05 प्रेरक नियुक्त किये गये। जिनके हस्ताक्षरों से कम्पनी एक्ट में कम्पनियों का पंजीकरण किया गया।

3. मुख्य कार्यकारी ऑफिसर (सी.ई.ओ.) चयन :- प्रत्येक कम्पनी के कार्यों का सफल संचालन हेतु एक जिम्मेदारी व्यक्ति जिसके सुझावों से कम्पनी को कार्य करने हेतु दिशा मिल सकें। इसके लिये पाँच कम्पनी में मुख्य अधिकारी ऑफिसर (सी.ई.ओ.) चयन किया गया। मुख्य अधिकारी ऑफिसर (सी.ई.ओ.) के कार्यों से उन्हें अवगत करवाया गया। कम्पनी में किसी भी तरह की गलती होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति मुख्य अधिकारी ऑफिसर (सी.ई.ओ.) होता है।

4. मुख्य कार्यकारी ऑफिसर (सी.ई.ओ.) प्रशिक्षण :- किसान उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी व्यक्ति का 03 माह का आवासीय प्रशिक्षण चौधरी चरणसिंह नेशनल एग्रीकल्चर इन्सीटिट्यूट—बबाल, जयपुर में करवाया गया। जहाँ उन्हें किसान उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के सभी कार्यों एवं उनकी जिम्मेदारीयों से अवगत करवाया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें फील्ड कार्य अभ्यास भी करवाया गया, ताकि क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकें।

5. किसान उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बैठक :- किसान उत्पादन कम्पनी लिमिटेड की बैठक हर माह में की जाती है जिसमें सम्पादित किये गये कार्यों तथा आगामी कार्य योजना पर चर्चा एवं निर्णय लिये जाते हैं।



GMVS

6. पी.आई.एम.सी. बैठक :- प्रोग्राम क्रियान्वयन निगरानी कमेटी की बैठक हर 03 माह में आयोजित की जा रही है। जिसमें नाबार्ड एल.डी.एम, नाबार्ड डी.डी.एम. संस्थान सचिव, कमेटी बोर्ड सदस्य एवं कम्पनी शेयर धारक जिसमें 03 माह में किये गये कार्य तथा आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाती है।

7. किसान शैक्षणिक भ्रमण :- राष्ट्रीय कृषि बीज एवं अनुसंधान केन्द्र, तबीजी में आयोजित किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण चारों कम्पनी के किसानों को करवाया गया जिसमें किसानों को कृषि की नवीन तकनीकियों के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न बीजों की नवीन किस्मों के बारे अवगत करवाया। फसलों के अच्छे उत्पादन तथा पानी की बचत हेतु ड्रीप सिस्टम, फवारा सेट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पानी संग्रहण हेतु फार्म पोन्ड निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।

8. कम्पनी बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :- कम्पनी के कार्यों का सफल संचालन तथा कम्पनी में आयोजित कार्यों पर निगरानी तथा सहयोग हेतु कम्पनी बोर्ड सदस्यों को झालाना डूँगरी, जयपुर में प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया। जिसमें किसानों को कम्पनी के नियमों, कम्पनी के कार्यों, कम्पनी शेयर राशि, केपिटल शेयर, पेड केपिडल, कम्पनी ऑफिट आदि के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही क्षैत्र विजिट भी करवायी गई जिसमें अपने कार्यों जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझा गया ताकि फील्ड में आने वाली समस्या का समाधान किया जा सकें।

9. कम्पनी शेयर राशि :- चारों कम्पनियाँ 05–05 लाख से रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। कम्पनी में किसानों द्वारा अपने शेयर खरीदे गये जिसमें

किसान प्रोड्यूसर कम्पनी	शेयर धारक संख्या
खायड़ा	157
उदयपुरखेड़ा	239
रैण	244
भैंसूखेड़ा	220

किसान ही शेयर धारक है।

10. कम्पनी व्यापार कार्य योजना :- कम्पनी अपने कार्यों को गति देने हेतु कम्पनी व्यापार कार्य योजना बनाकर बर्ड लखनऊ, नाबार्ड जयपुर तथा नियाम इस्टीट्यूट, जयपुर से प्रमाणित करवाया गया है। कार्य गति देने हेतु रूपये की व्यवस्था करवाई जा रही है।

11. कम्पनी लाइसेंस :- खाद बीज व्यापार हेतु कम्पनी लाईसेंस कृषि विभाग से प्राप्त किया गया है। साथ ही किसानों के साथ बैठक कर उनकी आवश्यकता खाद बीज मात्रा का ऑर्डर लिया गया तथा खाद बीज सरदार बलवान डी.ए.पी. दिनकर मूंग, उड़द 15 नवम्बर ज्वार एच. एस. 6 बीकानेरी नरमा कपास श्रीराम कपास उपलब्ध करवाने हेतु निर्णय लिया गया।

12. संस्थान कार्यकर्ता प्रशिक्षण :- आई.सी.एम. झालाना जयपुर में संस्थान कार्यकर्ताओं का 05 दिवसीय प्रशिक्षण करवाया जिसमें कम्पनी को सहयोग की आवश्यकता होने पर कार्यकर्ता अपनी सेवा दे सकें। जिससे कम्पनी गतिविधियों का समयानुसार क्रियान्वयन किया जा सकें। जैसे ऑडिट फार्म 7, फार्म 8, फार्म 9, आदि का समयानुसार भरकर भेजा जा सकें। R.O.C. को भेजी जाने वाली सभी सूचनाएँ समय पर भेजी जा सकें।

किसान क्लब कार्यक्रम, नागौर (Farmer Club Programme, Nagaur)

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) के वित्तिय सहयोग से एवं ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर के द्वारा नागौर जिले की परबतसर एवं पंचायत रियांबड़ी के 05 गांवों में कृषक क्लबों का गठन किया गया।

कृषक क्लबों के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य :- आज के बदलते हुए परिवेश में जब विश्व व्यापार संस्था की स्थापना तथा कृषि जगत में अन्य परिवर्तन हो रही है। तब हमारे किसानों को भी अपने आप को संगठित करना होगा ताकि वह इन परिवर्तनों से लाभान्वित हो सके तथा इन परिवर्तनों से उत्पन्न हो रही चुनौतियों का सामना कर सके एवं देश में चल रही तकनीकि क्रान्ति के दौर से किसान वांछिक लाभ प्राप्त कर सके। कृषक क्लब कार्यक्रम से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास है।

उद्देश्य :-

- ❖ तकनीकि जानकारी के लिए सामूहिक प्रयास।
- ❖ कृषकों के लिए मंच स्थापित करना।
- ❖ अच्छे बैंक ग्राहकों को पैदा करना।
- ❖ कृषि उत्पादन विक्रय हेतु नई मणिडयों या कम्पनियों से सम्पर्क करना।
- ❖ नई नीतियों एवं नियमों की जानकारी प्रदान करना।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) के वित्तिय सहयोग एवं ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर के द्वारा नागौर जिले की 02 पंचायत समितियों के निम्न गाँवों में किसान क्लबों का गठन किया गया है।



GMVS

क्र. सं.	किसान क्लब का नाम	गांव	पंचायत समिति
1	पीह किसान क्लब	पीह	परबतसर
2	लोकजन किसान क्लब	रघुनाथपुरा	परबतसर
3	निरन्तर किसान क्लब	कस्वा की ढाणी	रियाबड़ी
4	श्री राताढूण्डा किसान क्लब	राताढूण्डा	रियाबड़ी
5	ढाणीपुरा किसान क्लब	भैरुन्दा	रियाबड़ी
	थाँवला किसान क्लब	थाँवला	रियाबड़ी

कोरो संस्थान के साथ सामाजिक मुद्दों पर फेलोशिप कार्यक्रम

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर और ग्रामीण महिला जागृति समिति के एक—एक पंचायत समिति के 03—03 गांवों में फेलोशिप कार्यक्रम जून 2016 से किया जा रहा है। कोरो संस्थान के द्वारा 06 गांवों में गांव की अलग—अगल समस्या पर जैसे— बाल विवाह, बालिका शिक्षा, मृत्यु भोज, रुढ़ीवादी परम्परा, अंधविश्वास जैसे मुद्दों पर गांव के लोगों को जागरूक करना व उनसे होने वाले कुप्रभावों से अवगत करवाया गया। स्थानीय दो महिलाओं को फेलो बनाया ताकि दो सदस्यों को रोजगार मिल सकें और अपने और आस पास के गांवों में जो कि खुद फेलो भी मुद्दों से प्रभावग्रस्त है। इसलिए श्रीनगर व पिसांगन पंचायत समिति के तीन—तीन गांवों में कोरो संस्थान के साथ पायलेट कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी लोगों के साथ बैठकें, शिविर, नुककड़ नाटक, रेलियाँ, चौपाल व प्रशिक्षण किया उनको अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोरो का इस प्रकार की परियोजना से गांव के लोगों की सोच बदलने लगी है। संस्थान को भी इस तरह के मुद्दों पर कार्य करने से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोगों की फेलोशिप कार्यक्रम में रुची बढ़ने लगी है। कोरो के साथ जुड़कर अन्य गांवों में भी इस तरह के कार्य करना चाहती है संस्थान भविष्य में फेलोशिप कार्यक्रम के लिए संदर्भ व्यक्ति भी तैयार किये जा रहे हैं।

सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का एक्सपोजर विजिट

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी व ग्रामीण महिला जागृति समिति का राजस्थान सरकार की एम पावर परियोजना से जुड़ी बाड़मेर की सभी संस्थाओं का वित्तीय वर्ष में बहुत सारे विजिट हुए हैं। समूह, कलर्स्टर, फैडरेशन के कार्यों को देखना व सदस्यों के अनुभवों का आदान—प्रदान करना। उन्नत नस्ल की बकरी पालन करने के तौर तरीके को जानना है। यह सब देखने के लिए बाड़मेर जिले से श्योर, भोरुका चेरिटेबल ट्रस्ट, जी.वी.एन.एल., ग्राविस संस्थान के द्वारा विजिट व कार्यों का आंकलन किया गया है। इस सभी संस्थानों के द्वारा समय—समय पर विजिट होने से संस्थान व फैडरेशन को आर्थिक सहयोग के साथ—साथ अपने कार्यों का भी मूल्यांकन करने का मौका मिला है। एमपावर परियोजना से जुड़ी सभी संस्थाओं का सहयोग मिला है।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड—जयपुर एवं श्रम मंत्रालय “भारत सरकार” के द्वारा श्रमिकों एसीएसटी को अधिकार व कानून पर प्रशिक्षण

ग्रामीण महिला विकास संस्थान के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दो—दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया गया। देश में श्रमिकों के मौलिक अधिकार व कानून की जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा वित्तीय वर्ष में 200 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बैंक व अन्य संस्थाओं की योजनाओं की जानकारी के लिए भी संस्थान समय—समय पर केम्प, शिविरों का आयोजन किया जाता है। संस्थान हमेशा लोगों के हितों के कार्यों को बढ़ावा देती है।

रेलिंगेयर बीमा कम्पनी

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी, अजमेर द्वारा रेलिंगेयर हेल्थ इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ एम.ओ.यू. करके सिलोरा व श्रीनगर पंचायत समिति में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा करने के लिए संस्थान ग्रामीण महिला जागृति (फैडरेशन) से जुड़ी 50 महिला सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा रेलिंगेयर में स्वयं सहायता समूह की सदस्य के नाम से होता है और महिला के परिवार से चार सदस्य को भी जोड़ा जाता है। उस पॉलिसी में 05 सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा में कवर होते हैं। एक पॉलिसी का प्रिमियम 1030/- से 05 सदस्य 50000/- रूपये तक स्वास्थ्य का निःशुल्क चुनिंदा हॉस्पिटल में निःशुल्क ईलाज करवा सकते हैं। यह कार्ड रिचार्ज भी एक बार किया जा सकता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम

ग्रामीण महिला विकास संस्थान—बूबानी एल.आई.सी. के साथ सन् 2008 से कई प्रकार की माइक्रो बीमा पॉलिसी कर रही है। संस्थान इस वर्ष भी लगभग 150 लोगों का जीवन मंगल पॉलिसी की है और जो पॉलिसी पहले की गई थी। उनका प्रीमियम लगातार एल.आई.सी. में जमा किया रहा है। वित्तीय वर्ष में एल.आई.सी. से एक क्लेम भी परिवार को मिला है। एल.आई.सी. से लोगों का विश्वास होने के साथ—साथ संस्थान भी लम्बे समय से जुड़ी हुई है। एल.आई.सी. की जीवन मंगल पॉलिसी समूह सदस्य बचत के हिसाब से भी करवाते हैं। बचत व रिक्स कवर दोनों उक्त सदस्य को मिलता है। संस्थान ज्यादातर सदस्यों को एल.आई.सी. से बीमा करवाने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम से संस्थान भविष्य में भी पॉलिसी करवाती रहेगी।

संस्थान की भावी सोच

- ❖ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संस्थान के प्रत्येक कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ❖ महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं पहुँचाकर जागरूकता बैठकों द्वारा स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना।



GMVS

- ❖ स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाँवों को स्वच्छ बनाने में सहयोग करना
- ❖ महिला साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- ❖ ग्रामीण गरीब समुदाय को पशुपालन एवं अन्य स्थानीय रोजगार के अवसरों से परिचित करा कर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।
- ❖ महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना।
- ❖ नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ देते रहना।
- ❖ पंचायती राज एवं अन्य सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करना।
- ❖ जैविक खेती एवं उन्नत कृषि तकनीक एवं पशुपालन के लिए लोगों में जागरूकता लाकर इस हेतु उन्हें प्रेरित करना।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- ❖ महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना।
- ❖ महिला साक्षरता कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना एवं शिक्षित करना।



ग्रामीण महिला विकास संस्थान (GMVS) को मान सम्मान एवं उपलब्धियाँ शानदार

- ❖ एक्सेज डवलपमेंट सर्विसेज, एक्सेज असिस्ट और एच.एस.बी.सी. और एच.एस.बी.सी. इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा 8 दिसम्बर 2015 में स्वयं सहायता समूह की लघुवित्त के क्षेत्र में योगदान हेतु मार्ईक्रो फाईनेन्स इण्डिया अवार्ड व एक लाख रुपये नगद देकर सम्मानित किया।
- ❖ फ्रेन्डशिप फॉरम, नई दिल्ली द्वारा 9 जून 2016 में सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय स्तरीय बैंक लिंकेज पर्सनलटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा व प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 6 अप्रैल 2016 को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय स्तरीय ज्वेल ऑफ इण्डिया पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित।
- ❖ नाबार्ड, जयपुर द्वारा 9 मार्च 2016 में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र से नवाजा।
- ❖ फाउन्डेशन फॉर एक्सिलरेटेड कम्प्यूनिटी एमपॉवरमेन्ट, नई दिल्ली में सराहनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय जन सेवा अवार्ड से सम्मानित।
- ❖ फाउन्डेशन फॉर एक्सिलरेटेड मास एमपॉवरमेन्ट द्वारा 13 दिसम्बर 2015 में राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास में सराहनीय योगदान देने हेतु फेम एक्सीलेन्स अवार्ड से सम्मानित।
- ❖ नाबार्ड, जयपुर द्वारा 27 अप्रैल 2012 में राजस्थान में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु गैर सरकारी संगठन—एस.बी. लिंकेट वर्ग में राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।
- ❖ फ्रेन्डशिप फॉरम, नई दिल्ली द्वारा 25 अप्रैल 2016 में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण के क्षेत्र में प्रशंसनीय उपलब्धियाँ प्राप्त करने हेतु भारत एक्सीलेन्स पुरस्कार व मेडल से सम्मानित।
- ❖ इकोनोमिक डवलपमेन्ट फॉरम के द्वारा 10 सितम्बर 2015 में शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सेवा क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियाँ प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित।
- ❖ ग्लोबल अचीवर्स फाउन्डेशन, नई दिल्ली के द्वारा 20 अप्रैल 2012 को शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण में बेहतर उपलब्धियों और सेवाओं हेतु एक्सीलेन्स अवार्ड फॉर नेशनल सोशल एक्टीविटी से सम्मानित।
- ❖ नाबार्ड, जयपुर के द्वारा 27 अप्रैल 2012 में राजस्थान में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु राज्य स्तरीय क्रेडिट लिंकेज वर्ग में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित।



GMVS

- ❖ नेहरू युवा केन्द्र, अजमेर द्वारा 12 जनवरी 1997 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर ग्रामीण विकास हेतु जिला स्तरीय प्रशंसा पत्र व 500 सौ रुपये नगद सम्मानित।
- ❖ अलमा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 22 फरवरी 2015 में महिला साक्षरता, बालश्रमिक अधिकार, स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण के द्वारा सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में असीम योगदान देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एक्सीलेन्स अवार्ड से सम्मानित।
- ❖ उपखण्ड किशनगढ़ एरिया, अजमेर के द्वारा 15 अगस्त 2013 में शिक्षा, स्वास्थ्य व जल संरक्षण योजना में बेहतर कार्य प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय प्रशंसा प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह से सम्मानित।
- ❖ आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, मुम्बई से 25 मई 2013 में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज व ऋण उपलब्ध कार्यान्वयन निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान एवं प्रशंसनीय उपलब्धियों हेतु प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह से सम्मानित।
- ❖ इकोनोमिक डिवलपमेन्ट फॉरम, नई दिल्ली द्वारा 11 अप्रैल 2013 में महिला सशक्तिकरण व आजीविका गतिविधि द्वारा सामाजिक सेवा का कार्य करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित।
- ❖ जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2013 में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबन्धन, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण एवं लघुवित्त पर राजस्थान में प्रशंसापूर्ण कार्य कर सामाजिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित।
- ❖ इण्डिया इन्टरनेशनल फ्रेन्डशिप सोसायटी, नई दिल्ली से 29 अगस्त 2012 में बालश्रम उन्मूलन, पर्यावरण व स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में सेवाओं हेतु राष्ट्रीय स्तरीय राजीव गाँधी एक्सीलेन्स अवार्ड से सम्मान प्राप्त।
- ❖ इन्टीग्रेटेड काउन्सिल फॉर सोशियोइकोनोमिक प्रोग्रेस, बैंगलोर द्वारा 25 नवम्बर 2012 में शिक्षा, स्वास्थ्य व आजीविका संवर्धन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय सेवा व सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तरीय मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित।
- ❖ फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट अजमेर के द्वारा 29 अप्रैल 2010 में वन विकास व वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए जिला स्तरीय फॉरेस्ट डिवलपमेन्ट एण्ड प्रोटेक्शन पुरस्कार व पाँच सौ रुपये नगद से सम्मान प्राप्त किया।
- ❖ रावत पब्लिक शिक्षण संस्थान द्वारा 26 जनवरी 2016 में ग्रामीण आर्थिक व सामाजिक विकास में बेहतर योगदान हेतु स्मृति चिन्ह।
- ❖ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के द्वारा 12 जुलाई 2017 को वर्ष 2016–17 में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम पद पर स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- ❖ फ्रेन्डशिप फॉरम व ग्लोबल ब्रदरहुड फॉरम के द्वारा दिनांक 30 व 28 अगस्त 2016 को शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में असामान्य उपलब्धियों हेतु भारत निर्माण व ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित।

सहयोगी संस्थाएँ

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. द हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली | 2. नाबार्ड, जयपुर |
| 3. सेन्टर फॉर माईक्रो फाईनेन्स, जयपुर | 4. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई |
| 5. राजस्थान स्टेट एड्स कट्रोल सोसायटी, जयपुर | 6. एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड, अजमेर |
| 7. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जयपुर | 8. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर |
| 9. भारतीय जीवन बीमा निगम, अजमेर | 10. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर |
| 11. टाटा ए.आई.ए. सी.एस.आर. | 12. रेलिकेयर हेल्थ इन्ड्योरेन्स कम्पनी, दिल्ली |
| 13. कोरो हेल्थ साक्षरता समिति, मुम्बई | |
| 14. मिनाक्षी मिशन हॉस्पिटल और रिसर्च सेन्टर (विटामिन ऐन्जल) तमिलनाडु | |

संस्थान की वर्तमान कार्यकारिणी

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	पद
1.	श्री अनिल कुमार माथुर	अध्यक्ष
2.	श्रीमती स्वाति शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	श्री शंकर सिंह रावत	सचिव
4.	श्री शम्भू सिंह रावत	कोषाध्यक्ष
5.	श्री मनोज शर्मा	कार्यकारिणी सदस्य
6.	श्रीमती रतना देवी	कार्यकारिणी सदस्य
7.	श्री ब्रिजेश कुमार अग्रवाल	कार्यकारिणी सदस्य
8.	श्री आशिष कुमार	कार्यकारिणी सदस्य
9.	श्रीमती कविता जैन	कार्यकारिणी सदस्य





GMVS

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN (GMVS) AJMER (RAJ.)

Organizational Structure



Gramin Mahila Vikas Sansthan

ABRIDGED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31/03/2017

EXPENDITURE	AMOUNT ₹	INCOME	AMOUNT ₹
To Project Expenses:	12,930,074	By Grant -Received :-	12,572,994
To Administrative Expenses	519,329	By Interest	13,015
		By Contribution & Other Income	804,498
		By Excess of Exp. Over Income	58,896
Total	13,449,403	Total	13,449,403

In terms of our Audit Report even date attached.

For S S Verma & Co.

Chartered Accountants



(S. S. Verma)

Prop.

Jaipur

August 18, 2017



For Gramin Mahila Vikas Sansthan



(Shankar Singh Rawat)

Secretary

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

द्वारा (अजमेर)

ABRIDGED BALANCE SHEET AS AT 31/03/2017

LIABILITIES	AMOUNT ₹	ASSETS	AMOUNT ₹
General Fund	3,898,581	Fixed Assets	3,241,669
Loan	570,000	Grant Receivable	486,881
Current Liabilities	804,833	Other Current assets	414,528
		Loans and Advances	637,160
		Cash in Hand	11,793
		Cash at Bank	481,383
Total	5,273,414	Total	5,273,414

In terms of our Audit Report even date attached.

For S S Verma & Co
Chartered Accountants




(S. S. Verma)

Prop.



For Gramin Mahila Vikas Sansthan



(Shankar Singh Rawat)

Secretary

सेवाओं की ओट ...



सेवाओं की ओट ...



सेवाओं की ओट ...



स्वेचाओं की ओट ...



विकास की ओर बढ़ते कदम...



सेवाओं में प्रयासित ...



ग्रामीण महिला विकास संस्थान (GMVS)

मुख्य कार्यालय

पटाखा फैक्ट्री के पास
राजरेडी (सुमेर नगर)
मदनगंज-किशनगढ़-305801
जिला-अजमेर (राज.)
फोन : +91-1463-245642
मोबाइल : +91-9672979032
ई-मेल : bubanigmvs@gmail.com
Visit us : www.gmvs.ngo

पंजीयन कार्यालय

मु.पो. बूबानी
वाया-गगवाना 305023
जिला-अजमेर (राज.) भारत
मोबाइल : +91-9079207103
ई-मेल : gmvsajmer@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय

ई-6, पंचवटी
सामुदायिक केन्द्र के पास
चित्तौड़गढ़-312001
(राज.) भारत
मोबाइल : +91-9929259050
ई-मेल : gmvscittorgarh@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय

किसान चौराहा
शोखपुरा रोड़
ग्राम - थाँवला
जिला - नागौर - 305026
मोबाइल : +91-9672979038